वाद अन्तर्गत धारा 86 रा0का0अधि0 बाबत् विधि विरूद्ध हरे वृक्ष काटने पर शास्ति बाबत्

निर्णय

दिनांक 12/05/26

राजपैरोकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 86 आरटीए प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वाद वादी निम्न प्रकार से है –यह कि वादी व प्रतिवादी का रजिस्ट्रेड पता शीर्षक में दर्ज है वह सही है। यह कि प्रार्थी श्री इकबाल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन सरांवावाला के द्वारा दिनांक 27.10.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 9 एलजीडब्ल्यू के प0न0 28/289 में से बिना किसी मंजूरी व बिना किसी पैमाईस के उखाड़े गये शिशम के पेड़ो को उखाड़ने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने व उक्त पेड़ जब्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रति संलग्न वाद है।

भू–अभिलेख निरीक्षक लिखमीसर की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 व 30.11.2021 के अनुसार चक 9 एलजीडब्ल्यू के खाता संख्या 45 पन0 28/288 (9) कि0न0 2–9–12–19–22 की 1.265 है0 नहरी मय रास्ता, प0न0 28/289 (10) कि0न0 9–12–19–22 की 1.012 है0 नहररी भूमि जीत सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन सरावांवाला खातेदार राहिन एसबीआई पीलीबंगा, खाता संख्या 24 प0न0 28/288 (9) कि न0 3–8–13–18–23 की 1.265 है नहरी मय रास्ता, प0न0 28/289 (10) कि0न0 10–11–20–21 की 1.012 है0 नहरी भूमि गुरमीत ईकबाल सिंह पि) गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन सरावांवाला राहिन एसबीआई शाखा पीलीबंगा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कि0न0 9 व 10 के बीच घरेलू खाला बना हुआ है जो कि चालु है। मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि कि0न0 9 में घरेलु खाले में से दो पेड़ काटे गये थे। मौका पर काटे हुए पेड़ नहीं मिले। दिनांक 10.11.2021 को मौका जांच में मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि पेड़ नायब सिंह पुत्र जीत सिंह के द्वारा काटे गये थे। रिपोर्ट की प्रति संलग्न वाद है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि उक्त हरे वृक्ष हटाने संबन्धी को स्वीकृति आज्ञा प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त नहीं की गई है।

यह कि प्रतिवादीगण द्वारा बिना स्वीकृति लिए प्रतिबंधित हरे पेड़ों को काटा गया है। यही बिनाय दावा है।

यह कि हरे वृक्षों को बिना स्वीकृति के हटाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है। 7. यह है कि उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रतिवादीगण द्वारा बिना स्वीकृति के प्रतिबंधित हरे वृक्ष हटाने के जुर्म में प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत कार्यवाही कर दण्डित किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब दावा प्रस्तुत किया गया

जवाब दावा प्रतिवादी सं. 1 की और से निम्न प्रकार से है–यह कि वाद पत्र की दफा 1 को सावित करने का भार वादी पर है। यह कि वाद पत्र की दफा 2 अस्वीकार है। इकबाल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह मुझ प्रतिवादी से व्यक्तिगत रजिंश रखता है इस दुर्भावना से उसने गलत व झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी मुझ प्रतिवादी को कोई जानकारी नहीं है। उक्त वाद पत्र के शीर्षक में प्रतिवादी सं. 2 नायब सिंह पुत्र नायब सिंह गलत अकिंत है। यह कि वाद पत्र की दफा 3 गलत है स्वीकार नही। वाद पत्र व सलग्न रिपोर्ट में यह कहीं भी अकिंत नही है कि कौनसे प.नं. के किला नं. 9 में पेड़ काटे गये है। मुझ प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पेड़ नही काटा गया है। वाद पत्र में यह भी कही अकिंत नही है कि किस मौतविरान ने पेड़ काटने बाबत बताया है उसका नाम भी अकिंत नही किया गया है। मुझ प्रतिवादी के खिलाफ झूठी शिकायत के आधार पर बिना किसी सबूत के यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। मुझ प्रतिवादी ने किला नं. 1 व अन्य किसी किला नं, में से कोई पेड़ नही काटे है जब हमारे द्वारा पेड काटे ही नही गये है तो पेड़ न मिलने के तथ्य मिथ्या अकिंत किये गये है। इसलिये यह आवेदन पत्र ६ वाद पत्र खारिज योग्य है।

यह कि वाद पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। मुझ प्रतिवादी को पेड़ काटने की कोई आवश्यक्ता नही थी तो फिर मुझ प्रतिवादी द्वारा स्वीकृति या आज्ञा प्राप्त करने का कोई औचित्य व आधार नही है।

यह कि वाद पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा कोई पेड़ नही काटे गये है और न ही कटे हुए पेड़ व पेड़ काटने के निशान मौके पर मिले है। मौका रिपोर्ट व भू.नि. रिपोर्ट में कही भी अकिंत नही है कि मौके पर पेड़ काटने के गडडे या निशान आदि मिले हो । यह वाद पत्र मात्र मिन प्रतिवादी के विरूद्ध एक झूठे व

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रजिंशवंश प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना किसी साक्ष्य व सबूत के पेश किया गया है जिसे पेश करने का वादी को कोई वाद हेतुक हासिल नही है यह कि वाद पत्र की दफा 6 स्वीकार है परन्तु प्रतिवादी द्वारा हरे पेड़ नही काटे गये है इसलिये यह आदेश हम प्रतिवादी व इस प्रकरण पर लागू नही होता है।

यह कि वाद पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। अतः जबाब आवेदन वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र आवेदन पत्र वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाब दावा प्रतिवादी सं. 1 की और से निम्न प्रकार से है यह कि वाद पत्र की दफा 1 को साबित करने का भार वादी पर है। यह कि वाद पत्र की दफा 2 अस्वीकार है। इकबाल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह मुझ प्रतिवादी से व्यक्तिगत रजिंश रखता है इस दुर्भावना से उसने गलत व झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी मुझ प्रतिवादी को कोई जानकारी नही है। उक्त वाद पत्र के शीर्षक में प्रतिवादी सं. 2 नायब सिंह पुत्र नायब सिंह गलत अकिंत है। यह कि वाद पत्र की दफा 3 गलत है स्वीकार नही । वाद पत्र व सलग्न रिपोर्ट में यह कहीं भी अकिंत नही है कि कौनसे प.नं. के किला नं. 9 में पेड़ काटे गये है। मुझ प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पेड़ नही काटा गया है। वाद पत्र में यह भी कही अकिंत नही है कि किस मौतविरान ने पेड़ काटने बाबत बताया है उसका नाम भी अकिंत नही किया गया है। मुझ प्रतिवादी के खिलाफ झूठी शिकायत के आधार पर बिना किसी सबूत के यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। मुझ प्रतिवादी ने किला नं. 1 व अन्य किसी किला नं. में से कोई पेड़ नही काटे है जब हमारे द्वारा पेड़ काटे ही नही गये है तो पेड़ न मिलने के तथ्य मिथ्या अकिंत किये गये है। इसलिये यह आवेदन पत्र वाद पत्र खारिज योग्य है।

यह कि वाद पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। मुझ प्रतिवादी को पेड़ काटने की कोई आवश्यक्ता नही थी तो फिर मुझ प्रतिवादी द्वारा स्वीकृति या आज्ञा प्राप्त करने का कोई औचित्य व आधार नही है।

यह कि वाद पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा कोई पेड़ नही काटे गये है और न ही कटे हुए पेड़ व पेड़ काटने के निशान मौके पर मिले है। मौका रिपोर्ट व भू.नि. रिपोर्ट में कही भी अकिंत नही है कि मौके पर पेड़ काटने के गडडे या निशान आदि मिले हो। यह वाद पत्र मात्र मिन प्रतिवादी के विरूद्ध एक झूठे व रजिंशवंश प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना किसी साक्ष्य व सबूत के पेश किया गया है जिसे पेश करने का वादी को कोई वाद हेतुक हासिल नही है।

यह कि वाद पत्र की दफा 6 स्वीकार है परन्तु प्रतिवादी द्वारा हरे पेड़ नही काटे गये है इसलिये यह आदेश हम प्रतिवादी व इस प्रकरण पर लागू नही होता है। यह कि वाद पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। अतः जबाब आवेदन वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र आवेदन पत्र वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

आदेश

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार पीलीबंगा प्रकरण में दिनांक 10.11.2021 व 30.11.2021 के अनुसार चक 9 एलजीडब्ल्यू के खाता संख्या 45 पन0 28/288 (9) कि0न0 2–9–12–19–22 की 1.265 है0 नहरी मय रास्ता, प0न0 28/289 (10) कि0न0 9–12–19–22 की 1.012 है0 नहररी भूमि जीत सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन सरावांवाला खातेदार राहिन एसबीआई पीलीबंगा, खाता संख्या 24 प0न0 28/288 (9) कि न0 3–8–13–18–23 की 1.265 है नहरी मय रास्ता, प0न0 28/289 (10) कि0न0 10–11–20–21 की 1.012 है0 नहरी भूमि गुरमीत ईकबाल सिंह पि) गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन सरावांवाला राहिन एसबीआई शाखा पीलीबंगा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कि0न0 9 व 10 के बीच घरेलू खाला बना हुआ है जो कि चालु है। मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि कि0न0 9 में घरेलु खाले में से दो पेड़ काटे गये थे। मौका पर काटे हुए पेड़ नहीं मिले। दिनांक 10.11.2021 को मौका जांच में मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि पेड़ नायब सिंह पुत्र जीत सिंह के द्वारा काटे गये वाद पत्र स्वीकार कर शासती से दण्डित किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई पेड़ नही काटे गये है और न ही कटे हुए पेड़ व पेड़ काटने के निशान मौके पर मिले है। मौका रिपोर्ट व भू.नि. रिपोर्ट में कही भी अकिंत नही है कि मौके पर पेड़ काटने के गडडे या निशान आदि मिले हो। यह वाद पत्र मात्र मिन प्रतिवादी के विरूद्ध एक झूठे व रजिंशवंश प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना किसी साक्ष्य व सबूत के पेश किया गया है जिसे खारिज हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र में तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा सहकाश्तकार के केवल मात्र प्रार्थना पत्र पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें मौका पर पेड़ काटने के साक्ष्य नहीं मिले है ना ही पेड़ जब्त किये गए है। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को वादी साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है इस लिए वाद पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 12/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उमा मित्तल आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा